न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
93/2012	22.05.2012	12.12.2019

उनवान

1. हरसीत पुत्र चेलाराम जाति अहीर नि0 अहीर भगोला सरप्रस्त माता मनीता पत्नी चेताराम जाति अहीर नि0 अहीर भगोला तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

—: वादी

बनाम

1. रोहिताश पुत्र गणपत
2. दिनेश पुत्र रोहिताश
3. निर्मला पुत्री रोहिताश
4. मनोज पुत्र रोहिताश जाति अहीर निवासी अहीर भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
5. श्रीमान उपपंजीयक मुण्डावर, जिला अलवर, राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावाः— इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

....

—: निर्णय :—

दिनांक :— 12.12.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आ0ख0 न0 519/0.05, 45/0.12, 46/0.18, 48/0.33, 49/0.27, 95/0.29, 96/0.21, 97/0.20, 31/0.18, 44/0.15, 609/0.03, 1024/92/0.05, 1037/606/0.04, 115/0.09, 37/0.28 है0 वाके ग्राम अहीर भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर वादी की संयुक्त परिवार की दादालाई आराजी है जो दादा रोहिताश को विरासत में प्राप्त हुई जिसमे मिन वादी का जन्म से ही हक अधिकार होकर 1/5 हिस्सा का हक अधिकार है परंतु प्रतिवादी नं0 01 ने अकेले का नाम होने के कारण बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू है तथा विवादित आराजी में वादी का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 01 ल0 04 प्रत्येक का 1/5—1/5 हिस्सा है। निवेदन करते हुये वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी फरमाई जावे कि जिम्नन नम्बर 01 में अंकित आराजीयात में से प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम व हिस्से में दर्ज में से मिन वादी को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे के बाबत का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने उपरांत बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 01 ल0 04 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

पेश किया। मुताबिक जवाब दावा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुये सारतः रहा कि वादी ने विवादित हिस्सा दर्ज नहीं किया है यदि समस्त आराजी विवादित बनाया हो तो समस्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था एवं आ0ख0 न0 37, 31, 44, 45, 46, 48, 49, 95, 96, 97 वाके ग्राम अहीर भगोला संतोष देवी पत्नी रोहिताश की 1/2 भाग स्वअर्जित खरीदशुदा आराजी है जिसमें वादी को कोई हक हासिल नहीं है जबकि संतोष देवी को वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया है। साथ ही पैरा संख्या 01 में दर्ज में से प्रति0सं0 01 का 1/2 भाग है जो दादालाई नहीं है। वादी नाबालिग है। वादी की माता ने वाद इस उद्देश्य से पेश किया है कि वादी के नाम आराजी आने पर उसका बेचान कर दिया जावे। वादी की माता बेवा है जो दीगर लोगों के बहकावे में है जो वादी के भविष्य की चिंता नहीं करते हुये वादी के नाम या अपने नाम कराने हेतु झगडे कर चुकी है आदि–आदि अंकित करते हुये जायद में निवेदन रहा है कि–

1. वादी ने वाद शुद्धहस्त होकर पेश नहीं किया इसलिए वादी का वाद काबिले खारिज है।
2. वादी ने वाद में वाद हेतु तर्कहीन विरोधाभासी बेबुनियाद दर्ज किये है। विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित होने पर भी प्रतिवादी वादी के वयस्क होने पर आराजी के लिए तैयार है। वादी का संरक्षण सही हाथों में नहीं है जो वादी के नादान उम्र का लाभ उठाकर वादी की जायदाद को बर्बाद करने पर उतारू है।
3. वादी ने इश्तकरारहक का वाद पेश किया है तथा समस्त आराजियात को विवादित बनाया है परंतु समस्त खातेदारान को वाद मे पक्षकार नहीं बनाया इसलिए सक्षम पक्षकार के अभाव में भी वादी का वाद काबिले खारिज है आदि अंकित करते हुये वादी के वाद को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

1. आया विवादित आराजी मुन्द्रजे जि0 न0 01 में प्रतिवादी के नाम को 1/5 भाग हजफ कर वादी अपने नाम कराने का अधिकारी है। –जिम्मेवादी
2. आया विवादित आराजी में 1/5 भाग पर वादी हु0 ई0 दवामी पाने का हकदार है। –जिम्मेवादी
3. आया वादी ने सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है लेकिन दो माह पहले 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। – जिम्मेप्रतिवादी
4. वादी ने समस्त खातेदारान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। – जिम्मेप्रतिवादी
5. दादरसी

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दीयात संवत् 2065–68 किता 04 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के समर्थन में छायाप्रतिबयनामा दिनांक 25.04.2006 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुये वादी के वाद को डिकी किया जाकर जिम्मन नं0 01 में अंकित आराजी जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है में से 1/5 भाग की हद तक प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हजब कर उक्त 1/5 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के जिम्नों को दोहराते हुये विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/2 भाग दर्ज रिकॉर्ड होने तथा उक्त आराजी दादालाई नहीं होने तथा आराजी खसरा नंबर 37, 31, 44, 45, 46, 48, 49, 95, 96, 97 वाके ग्राम अहीर भगोला संतोष देवी पत्नी रोहिताश की 1/2 भाग स्वअर्जित खरीदशुदा आराजी होना व संतोष देवी को वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया जाना आदि–आदि का निवेदन करते हुये वादी के वाद को मय हर्जे–खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया जिसका न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन निम्न है–

1. तनकी न0 01–आया विवादित आराजी मुन्द्रजे जि0 न0 01 में प्रतिवादी के नाम को 1/5 भाग हजफ कर वादी अपने नाम कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करना का जिम्मा वादी के रहा है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह कतई साबित नहीं होता कि विवादित समस्त आराजीयात वादी की दादालाई आराजी है बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं बयनामा दिनांक 25.04.2006 की प्रस्तुत छायाप्रति अनुसार विवादित आराजीयात के बाबत वादी ने शेष सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है साथ ही संपूर्ण आराजी को दादालाई मानते हुये वाद प्रस्तुत किया गया है जो वादी द्वारा शुद्धहस्त होकर दावा पेश नहीं करने की परिभाषा को साबित करता है क्योंकि विवादित आराजी का शेष 1/2 भाग अन्य सहखातेदार की खरीदशुदा आराजी होकर उसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने की स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को बर खिलाफ वादी पाकर बहक प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

2. तनकी न0 02–आया विवादित आराजी में 1/5 भाग पर वादी हु0 ई0 दवामी पाने का हकदार है। इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मेवादी रहा है परंतु तनकी नं0 01 बर खिलाफ वादी होकर बहक प्रतिवादी स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बर खिलाफ वादी पाते हुये बहक प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

3. तनकी न0 03–आया वादी ने सरकार को पक्षकार बनाया है लेकिन दो माह पहले 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादीगण रहा है। जब तनकी नं0 01 व 02 बहक प्रतिवादीगण साबित पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

4. तनकी न0 04–वादी ने समस्त खातेदारान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादीगण रहा है। तनकी नं0 01, 02 व 03 बहक प्रतिवादीगण साबित पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned with CamScanner

5. दादरसी– उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय काबिल खारिज पाता है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आ0ख0 न0 519/0.05, 45/0.12, 46/0.18, 48/0.33, 49/0.27, 95/0.29, 96/0.21, 97/0.20, 31/0.18, 44/0.15, 609/0.03, 1024/92/0.05, 1037/606/0.04, 115/0.09, 37/0.28 है0 वाके ग्राम अहीर भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादी के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादी खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/12/19

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned with CamScanner

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :— सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू. दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
93/2012	22.05.2012	12.12.2019

उनवान

1 हरसीत उम्र 4 साल चेलराज जाति अहीर निवासी अहीर भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. रोहिताश्व पुत्र गणपत पुत्र जोधा
2. दिनेश पुत्र राहिताश्व
3. निर्मला पुत्री राहिताश्व
4. मनोज पुत्र रोहिताश्व
5. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा 88,89 व 188 राज0 कास्त0 अधि0

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.12.2019** को **श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

" उपरोक्त विवेचन के आधार पर आ0ख0 न0 519/0.05, 45/0.12, 46/0.18, 48/0.33, 49/0.27, 95/0.29, 96/0.21, 97/0.20, 31/0.18, 44/0.15, 609/0.03, 1024/92/0.05, 1037/606/0.04, 115/0.09, 37/0.28 है0 वाके ग्राम अहीर भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वावत के वादी के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादी खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Sd/- 12/12/19
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Yadav
Date: 2020.03.05 16:15:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: